भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
(ए मिनिरत्न कंपनी / A MINIRATNA COMPANY)
प्लॉट नंबर 27, चंद्रमौली बिल्डिंग, वीर सावरकर चौक, सम्राट नगर, शाहनुरवाडी रोड
Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer Sawarkar Chowk, Samrat Nagar,
Shahnoorwadi Road, औरंगाबाद AURANGABAD - 431005 (महाराष्ट्र /Maharashtra)
e-mail : aurangabad@cotcorp.com website: www.cotcorp.org.in
GST No. : 27 AAACT4053B3ZQ CIN : U51490MH1970GOI014733
दूरभाष क्रमांक / Tel.No (0240) 2361451 फ़ैक्स क्रमांक (0240) 2361834

साल्वेज विक्रय हेतु खुली नीलामी

शाखा कार्यालय, औरंगाबाद के अधीन नायगाओं केन्द्र पर फसल वर्ष 2019-20 में अग्नि दुर्घटना से प्रभावित कपास का साल्वेज 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर दिनांक 30.06.2020 को मध्याह्न 2.30 बजे नायगाओं पर मेसर्स भारत कॉटन फाइबर्स, नायगाओं में 'खुली नीलामी' हेतु रखा जा रहा है जिसमें इच्छुक क्रेता भाग ले सकते हैं ।

नियम एवं शर्तें निगम की वेबसाईट www.cotcorp.org.in या सरकारी वेबसाईट http://www.eprocure.gov.in पर देखी जा सकती है अथवा नायगाओं केन्द्र से प्राप्त की जा सकती हैं ।

महाप्रबंधक

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
(ए मिनिरत्न कंपनी / A MINIRATNA COMPANY)
प्लॉट नंबर 27, चंद्रमौली बिल्डिंग, वीर सावरकर चौक, समृाट नगर, शाहनुरवाडी रोड
Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer Sawarkar Chowk, Samrat Nagar,
Shahnoorwadi Road, औरंगाबाद AURANGABAD - 431005 (महाराष्ट्र /Maharashtra)
e-mail : aurangabad@cotcorp.com website: www.cotcorp.org.in
GST No. : 27 AAACT4053B3ZQ CIN : U51490MH1970GOI014733
दूरभाष क्रमांक / Tel.No (0240) 2361451 फ़ैक्स क्रमांक (0240) 2361834

दिनांक 30.06.2020 को मध्याह्न 2.30 बजे मेसर्स भारत कॉटन फाइबर्स, नायगाओं में साल्वेज विक्रय हेतु आयोजित खुली नीलामी

नियम एवं शर्तें

1) नीलामी हेतु साल्वेज का भौतिक निरीक्षण दिनांक 30.06.2020 को प्रात: 9.00 बजे से बोली होने तक किसी भी समय किया जा सकता है जिसमें सबसे ऊच्चतम बोली को स्वीकार किया जायेगा ।

2) बोली दर प्रति किलो ग्राम के आधार पर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त सभी कर एवं खर्चे जैसे – वेमेन्ट, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट एवं जीएसटी इत्यादि क्रेता द्वारा अलग से स्वयं वहन किये जायेंगे ।

3) बोली स्वीकार होने के पश्चात अनुमानित कुल राशि की 20% राशि 24 घंटे के अंदर निगम के खाते में ऑन लाईन भुगतान करना होगी तथा संपूर्ण राशि का भुगतान करते हुए साल्वेज की 3 दिनों के अंदर-अंदर सुपुर्दगी लेनी होगी।

4) निगम किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या समुचति बोली न आने पर संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

5) किसी भी विवाद की स्थिति में निगम का निर्णय अंतिम रहेगा एवं औरंगाबाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

महाप्रबंधक

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
(ए मिनिरत्न कंपनी / A MINIRATNA COMPANY)
प्लॉट नंबर 27, चंद्रमौली बिल्डिंग, वीर सावरकर चौक, सम्राट नगर, शाहनुरवाडी रोड
Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer Sawarkar Chowk, Samrat Nagar,
Shahnoorwadi Road, औरंगाबाद AURANGABAD - 431005 (महाराष्ट्र /Maharashtra)
e-mail : aurangabad@cotcorp.com website: www.cotcorp.org.in
GST No. : 27 AAACT4053B3ZQ CIN : U51490MH1970GOI014733
दूरभाष क्रमांक / Tel.No (0240) 2361451 फ़ैक्स क्रमांक (0240) 2361834

साल्वेज विक्रय हेतु खुली नीलामी

शाखा कार्यालय, औरंगाबाद के अधीन नायगाओं केन्द्र पर फसल वर्ष 2019-20 में अग्नि दुर्घटना से प्रभावित कपास का साल्वेज 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर दिनांक 30.06.2020 को मध्याह्न 2.30 बजे नायगाओं केन्द्र पर मेसर्स भारत कॉटन फाइबर्स, नायगाओं में 'खुली नीलामी' हेतु रखा जा रहा है जिसमें इच्छुक क्रेता भाग ले सकते हैं ।

नियम एवं शर्तें

1) नीलामी हेतु साल्वेज का भौतिक निरीक्षण दिनांक 30.06.2020 को प्रात: 9.00 बजे से बोली होने तक किसी भी समय किया जा सकता है जिसमें सबसे ऊच्चतम बोली को स्वीकार किया जायेगा ।
2) बोली दर प्रति किलो ग्राम के आधार पर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त सभी कर एवं खर्चे जैसे – वेमेन्ट, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट एवं जीएसटी इत्यादि क्रेता द्वारा अलग से स्वयं वहन किये जायेंगे ।
3) बोली स्वीकार होने के पश्चात अनुमानित कुल राशि की 20% राशि 24 घंटे के अंदर निगम के खाते में ऑन लाईन भुगतान करना होगी तथा संपूर्ण राशि का भुगतान करते हुए साल्वेज की 3 दिनों के अंदर-अंदर सुपुर्दगी लेनी होगी।
4) निगम किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या समुचति बोली न आने पर संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।
5) किसी भी विवाद की स्थिति में निगम का निर्णय अंतिम रहेगा एवं औरंगाबाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

महाप्रबंधक